राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

कमांक एफ23 ( )लेखा/निकाशि/वसूप्रोरायो/2012–13/2569-76 दिनांक 23-7-2012

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2012

1– **योजना :–**

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरियता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति भुगतान किये जाने की वर्ष 2012–13 के बजट में घोषणा की गई है । यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है ।

2– **योजना का नाम :–**

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2012 होगा ।

3– **उद्देश्य :–**

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

4– **योजना अन्तर्गत लाभ :–**

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरियता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/– रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/– रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा ।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा ।

5– **पात्रता :–**

इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हो:–

(1) जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में संकायवार वरियता (मेरिट) सूची अनुसार निम्न स्थान प्राप्त किया हुआ हो –

कला – प्रथम स्थान से 75,000 तक स्थान तक
विज्ञान – प्रथम स्थान से 55,000 तक स्थान तक
वाणिज्य – प्रथम स्थान से 20,000 तक स्थान तक

(2) उसके माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख अथवा कम होगी।

(3) वह राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत है।

(4) वह राजस्थान का मूल निवासी हो।

(5) उसे भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो।

(6) उसका एस.बी.बी.जे. बैंक में जमा खाता हो।

6— आवेदन :—

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम जारी होने के तत्काल बाद ही निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा बोर्ड से तीनों संकाय – यथा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य – की क्रमशः प्रथम 75,000, 55,000 एवं 20,000 छात्र/छात्राओं की मेरिट सूची प्राप्त की जावेगी एवं इन तीनों सूचियों में अंकित आखरी छात्र के अंक संकायवार बोर्ड से प्रमाणित करावें जावेंगे जिससे कि योजनान्तर्गत पात्र छात्र/छात्राओं का संकायवार न्यूनतम अंक घोषित किया जा सके।

शैक्षणिक सत्र जुलाई में आरम्भ होने पर निदेशक, कॉलेज शिक्षा के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाकर इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में मांगें जावेंगे। इसका विवरण व आवेदन फॉर्म का प्रारूप निदेशक, कॉलेज शिक्षा की वेब साईट पर भी होगा। विज्ञप्ति में उस वर्ष, संकायवार, न्यूनतम अंक भी अंकित होगे।

नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्रा द्वारा, जिनके उन विज्ञापित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हो, एवं वह इस योजनान्तर्गत पात्रता के लिए उल्लेखित समस्त शर्तों की पूर्ति करते हो, निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र "अ") (मय आवश्यक अभिलेख) की पूर्ति कर अपने महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान (जिसमें वह उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत है) के प्राचार्य को अगस्त 1—20 तक प्रस्तुत करेंगे।

संस्था प्रधान आवेदन—पत्र में संलग्न अंकतालिका का अपनी संस्था में उपलब्ध मूल अंकतालिका से मिलान कर, एवं अन्य वांछित तथ्यों को सत्यापित कर समस्त पात्र आवेदन पत्रों (जो घोषित न्यूनतम अंक तक हो) अपने जिले के नोडल अधिकारी (प्रपत्र "स") को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित करेंगे।

7— स्वीकृति :—

संबंधित नोडल अधिकारी अपने जिले से सम्बन्धित प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण करेगे एवं निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा संकायवार प्रेषित कटऑफ सूची से मिलान कर सुनिश्चित करेगे कि आवेदक छात्र/छात्रा का नाम उसमें सम्मिलित है। उस जिले में योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु पात्र कुल छात्र संख्या से निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को सूचित करेंगे एवं निदेशालय से प्राप्त अनुमति पश्चात् स्वीकृति जारी कर सम्बन्धित छात्र/छात्रा एवं बैंक को स्वीकृति की प्रति प्रेषित करेंगे।

स्वीकृत संख्या अनुसार निदेशालय द्वारा नोडल अधिकारी को बजट स्वीकृत किया जावेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा तदानुसार बैंक को चयनित छात्रों/छात्राओं के बैंक खाते में माहवार छात्रवृति राशि क्रेडिट करने के निर्देश दिये जावेंगे।

8— **छात्रवृति की निरन्तरता की प्रकिया** :—

छात्रवृति राशि का भुगतान पॉच वर्ष की अवधि अथवा उच्च/ तकनीकी अध्ययन जारी रखने तक, जो भी पहले हो, देय होगी । परन्तु चयनित छात्र को प्रति वर्ष इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है, जिससे कि यह प्रमाणित किया जा सके कि नियमित अध्ययनरत उच्च शिक्षा जारी है।

इस हेतु छात्र/छात्रा को प्रपत्र ''ब'' में आवेदन पत्र भर कर अपने संस्था प्रधान को अगस्त 20 तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की प्रति संलग्न हो। संस्था प्रधान सत्यापित कर आवेदन पत्र को नोडल अधिकारी को दिनांक 31 अगस्त तक प्रेषित कर देगे।

(राजीव स्वरूप)
प्रमुख शासन सचिव
उच्च शिक्षा

क्रमांक प.23( ) शिक्षा/निकाशि/ ....2012-13/ 2529-76 दि. 23-7-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. समस्त नोडल अधिकारी।
8. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ...

विशिष्ठ शासन सचिव
उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ23( )लेखा/ निकाशि / वसूप्रोरायो / 2012–13/ 2153-57 दिनांक : 6.9.12

विज्ञप्ति

इस विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ23( )लेखा/ निकाशि / वसूप्रोरायो / 2012–13/ दिनांक 31 जुलाई, 2012 के द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 हेतु आवेदन की तिथि 15 –9–2012 रखी गई थी, निर्देशानुसार इस तिथि में दिनांक 20–9–2012 तक की अभिवृद्धि की जाती है । इसके साथ ही संस्था प्रधानों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे प्राप्त आवेदनों को नोडल आफिसर के पास दिनांक 30–9–2012 तक प्रेषित करेंगे ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ23( )लेखा/ निकाशि / वसूप्रोरायो / 2012–13/ 2153-57 दिनांक 6-9-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में राजस्थान के समस्त संस्करणों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का श्रम करें, इस हेतु विज्ञप्ति की 5 प्रतियॉ संलग्न कर भिजवाई जा रही है ।
3. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
4. प्राचार्य, राजस्थान के समस्त राजकीय अथवा मान्य प्राप्त गैर राज. उच्च/तकनीकी संस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्रों को उपरोक्तानुसार प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।
5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी बेवसाईट को प्रेषित कर लेख है कि इसे अविलम्ब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।

(आर0 एल0 आसीवाल)
सहायक लेखाधिकारी(छात्रवृत्ति)
कालेज शिक्षा
राजस्थान जयपुर